

फर्दअहकाम  
नियम (26)

अज अदालत

गोपीलाल

बनाम

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किस्म मु०

मिसल न०

110/2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिपियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकामजोहुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

तारीख  
हुक्म

10/11/25

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमें प्रार्थी पुष्पा बाई पुत्री गोपीलाल ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी तुलसा बाई पुत्री गोपीलाल नि० गोंदी नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खाता सख्या 168 खसरा नबर 260,269,270,4,412,417,418,461,462,474,973,975,976 में काश्तगार का नाम तुलसा बाई पुत्री गोपीलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभिनिरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम तुलसा बाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर पुष्पा बाई पुत्री गोपीलाल दर्ज किया जावे। आज दिनांक 10/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

